# जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, जामताड़ा

## (उत्पाद शाखा)

## खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोवस्ती हेतु सुचना

विज्ञप्ति

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 1/नीति–28/2018– 2135, दिनांक 24.12.2018 द्वारा प्रकाशित *"झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018"*(समय–समय पर यथासंशोधित) तथा राजस्व पर्षद द्वारा अनुमोदित बिक्री अधिसूचना जो इस कार्यालय के ज्ञापांक–86, दिनांक–16.02.2019 के द्वारा निर्गत है, के शर्त्तों के तहत, वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत करने की तिथि से दिनांक–31.03.2022 के लिए जामताड़ा जिलान्तर्गत शेष बचे अबन्दोबस्त यथा "देशी शराब की–05", "विदेशी शराब की–04" तथा "कम्पोजिट दुकान की–04" कुल–13 खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती, जो कुल–13 एकल समूहों में ऑफ लाईन लॉटरी (Manual lottery) प्रणाली द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार सम्पादित की जायेगी –

| क्र0 | विषय | तिथि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | "देशी शराब की दुकान", "विदेशी शराब की दुकान" तथा "कम्पोजिट शराब की दुकान" की बंदोंवस्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की तिथि व समय | दिनांक– 06/10/2021 के पूर्वांहन 11:00 बजे से दिनांक– 20/10/2021 के संध्या 07:00 बजे तक |
| 2 | ऑफ लाईन लॉटरी की तिथि एवं समय | दिनांक– 22/10/2021 के पूर्वांहन 10:30 बजे से |
| 3 | ऑफ लाईन लॉटरी का स्थान | जिला–जामताड़ा समाहरणालय का सभाकक्ष |
| 4 | ऑफ लाईन आवेदन प्राप्त करने का स्थान | कार्यालय अधीक्षक उत्पाद, जामताड़ा |
| 5 | बन्दोबस्ती पदाधिकारी | उपायुक्त, जामताड़ा |

2. जामताड़ा जिला में ऑफ लाईन लॉटरी से बंदोवस्त होने वाली "देशी शराब की दुकान", "विदेशी शराब की दुकान" तथा "कम्पोजिट शराब की दुकान" की विवरणी निम्नवत है:–

| जिला का नाम | ग्रुप का नाम | दुकान का प्रकार | दुकान का नाम एवं अवस्थिति | वार्षिक अनुज्ञाशुल्क | वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व (ANNUAL MGR) | | | आवेदन के समय जमा की जाने वाली राशि (आवेदन शुल्क+GST सहित) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | दे0श0 | वि0श0 | कुल | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 |
| जामताड़ा | 10_JAM_F_04 | वि0श0 | कालाझरिया मोड़ (मटटांड पंचायत क्षेत्र) | 25000 | 0 | 13273200 | 13273200 | 271364 |
| | | योग:– | | 25000 | 0 | 13273200 | 13273200 | 271364 |
| जामताड़ा | 10_JAM_F_07 | वि0श0 | न0प0 मिहिजाम–2 (मिहिजाम–रूपनारायणपुर रोड़, मिहिजाम बाजार से कानगोई रेलवे फाटक तक) मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्र | 75000 | 0 | 7553648 | 7553648 | 168773 |
| | | योग:– | | 75000 | 0 | 7553648 | 7553648 | 168773 |
| जामताड़ा | 10_JAM_C_13 | दे0श0 | न0प0 जामताड़ा–1 (जामताड़ा–दुमका रोड़, बेवा बाइपास मोड़ से उदलबनी तक) | 25000 | 1285451 | 0 | 1285451 | 31609 |
| | | योग:– | | 25000 | 1285451 | 0 | 1285451 | 31609 |
| जामताड़ा | 10_JAM_C_14 | दे0श0 | न0प0 मिहिजाम–2 (मिहिजाम–रूपनारायणपुर रोड़, मिहिजाम बाजार से कानगोई रेलवे फाटक) | 40000 | 1395712 | 0 | 1395712 | 37355 |
| | | योग:– | | 40000 | 1395712 | 0 | 1395712 | 37355 |
| जामताड़ा | 10_JAM_F_15 | वि0श0 | बिन्दापाथर (बिन्दापाथर पंचायत क्षेत्र) | 25000 | 0 | 3545400 | 3545400 | 76808 |
| | | योग:– | | 25000 | 0 | 3545400 | 3545400 | 76808 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जामताड़ा | 10_JAM_M_18 | कम्पो0 | गोरायनाला | 25000 | 330907 | 5757576 | 6088483 | 127670 |
| | | योगः– | | 25000 | 330907 | 5757576 | 6088483 | 127670 |
| जामताड़ा | 10_JAM_F_19 | वि0श0 | न0प0 हँसीपहाड़ी (मिहिजाम–रूपनारायणपुर रोड़, कानगोई रेलवे फाटक से हँसीपहाड़ी तक) मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्र | 75000 | 0 | 7553648 | 7553648 | 168773 |
| | | योगः– | | 75000 | 0 | 7553648 | 7553648 | 168773 |
| जामताड़ा | 10_JAM_C_20 | दे0श0 | मोहनपुर (झिलुवा पंचायत क्षेत्र) | 15000 | 509106 | 0 | 509106 | 13722 |
| | | योगः– | | 15000 | 509106 | 0 | 509106 | 13722 |
| जामताड़ा | 10_JAM_C_21 | दे0श0 | कुण्डहित (कुण्डहित प्रखण्ड मुख्यालय) | 15000 | 989330 | 0 | 989330 | 23327 |
| | | योगः– | | 15000 | 989330 | 0 | 989330 | 23327 |
| जामताड़ा | 10_JAM_M_22 | कम्पो0 | खजूरी (खजूरी पंचायत क्षेत्र) | 25000 | 330907 | 3814800 | 4145707 | 88815 |
| | | योगः– | | 25000 | 330907 | 3814800 | 4145707 | 88815 |
| जामताड़ा | 10_JAM_M_23 | कम्पो0 | गेड़िया (गेड़िया पंचायत क्षेत्र) | 25000 | 330907 | 3256704 | 3587611 | 77653 |
| | | योगः– | | 25000 | 330907 | 3256704 | 3587611 | 77653 |
| जामताड़ा | 10_JAM_C_25 | दे0श0 | न0प0 जामताड़ा–3 (जामताड़ा रेलवे स्टेशन से साहना/ गायछान्द तक) | 25000 | 1285451 | 0 | 1285451 | 31609 |
| | | योगः– | | 25000 | 1285451 | 0 | 1285451 | 31609 |
| जामताड़ा | 10_JAM_M_28 | कम्पो0 | महेशमुण्डा | 25000 | 330907 | 3348840 | 3679747 | 79495 |
| | | योगः– | | 25000 | 330907 | 3348840 | 3679747 | 79495 |
| | सम्पूर्ण योग | | | 420000 | 6788678 | 48103816 | 54892494 | 1196973 |

3. Manual lottery प्रणाली के तहत ऑफलाईन के माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया, निर्धारित शर्तें एवं प्रतिबंधों की विवरण निम्नवत है–

i. दुकानों की बंदोबस्ती की कार्रवाई *"झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018"* (समय–समय पर यथा संशोधित) तथा राजस्व पर्षद द्वारा अनुमोदित बिक्री अधिसूचना की शर्त्तों के तहत सम्पन्न करायी जायेगी।

ii. खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती हेतु दुकानों के समूह का गठन किया गया है। दुकानों की बंदोबस्ती हेतु गठित समूह के अंतर्गत न्यूनतम एक दुकान तथा अधिकतम तीन दुकानें हो सकती हैं। दुकानों की बंदोबस्ती समूहवार की जायेगी।

iii. खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती अनुज्ञप्ति निर्गत की तिथि से दिनांक 31.03.2022 तक के लिए की जायेगी, परंतु अनुज्ञप्तियाँ एक उत्पाद वर्ष या उसके भाग के लिए प्रदान की जायेंगी।

iv. **बंदोबस्ती हेतु अर्हत्ता** – कोई भी आवेदक खुदरा उत्पाद दुकान के किसी समूह पर अधिकतम तीन आवेदन समर्पित कर सकता है। आवेदक जिला/राज्य की सभी दुकानों के समूह पर तीन आवेदन समर्पित कर सकता है, बशर्त्ते कि वह समूह अंतर्गत दुकानों के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क, धरोहर धनराशि,एवं नियमानुसार GST की राशि जमा कर दें। लॉटरी में एक आवेदक किसी जिले में Manual Lottery प्रणाली के तहत ऑफलाईन के माध्यम से अधिकतम दो समूह की बंदोबस्ती प्राप्त कर सकेगा तथा संपूर्ण राज्य में अधिकतम छः समूह की बंदोबस्ती प्राप्त कर सकेगा। जैसे– यदि विभिन्न चरणों की लॉटरी में यदि किसी आवेदक के साथ संपूर्ण राज्य में पाँच समूह की बंदोबस्ती हो गई है और यदि उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सभी दुकानों के समूह का नवीकरण करा लिया गया हो, तो इस चरण की बंदोबस्ती में उसके साथ मात्र एक ही समूह की बंदोबस्ती हो सकेगी। इसी प्रकार यदि किसी आवेदक के पक्ष में विभिन्न चरणों की बंदोबस्ती में छः समूह की बंदोबस्ती हो चुकी है, तो उसके साथ किसी भी प्रकार की बंदोबस्ती नहीं की जायेगी। यदि किसी आवेदक के साथ पूर्व में पाँच समूह की बंदोबस्ती की गई है तथा उन्होंने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एक समूह का नवीकरण नहीं कराया है, तो उनके साथ अब अधिकतम दो समूह की बंदोबस्ती की जायेगी, अर्थात किसी भी परिस्थिति में एवं सभी चरणों की बंदोबस्ती के पश्चात किसी भी आवेदक के पक्ष में एक जिला में दो समूह तथा सभी जिला में अधिकतम छः समूह की बंदोबस्ती हो सकेगी।

v. जिन व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति विभागीय नियमों के उल्लंघन तथा सरकारी बकाया रहने के कारण विखंडित हुई है, वैसे व्यक्ति वित्तीय वर्ष 2021–22 की शेष अवधि की बंदोबस्ती में भाग नहीं ले पायेंगे।

vi. जिन व्यक्तियों के द्वारा अपनी अनुज्ञप्ति का नवीकरण सरकारी बकाया रहने के कारण नहीं कराया गया है, वैसे व्यक्ति वित्तीय वर्ष 2021–22 की शेष अवधि की बंदोबस्ती में भाग नहीं ले पायेंगे।

vii. खुदरा उत्पाद दुकानों के लिए निर्धारित कुल वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व (Annual Minimum Guaranteed Revenue) का 15% न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद कर (MGD) एवं 85% न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद परिवहन कर (ETD) है।

viii. किसी भी दुकान हेतु निर्धारित कुल न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व (Annual Minimum Guaranteed Revenue) का 2% धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit), 5% जमानत की राशि (Security Deposit) तथा 7.5% अग्रिम उत्पाद परिवहन कर निर्धारित है।

ix. किसी भी प्रकार के दुकान की लॉटरी में भाग लेने के लिए आवेदक को उस दुकान के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क (देय GST सहित) एवं धरोहर धनराशि की बैंक DD अलग–अलग जो अधीक्षक उत्पाद, जामताड़ा के पदनाम से जमा करनी होगी। आवेदन शुल्क (देय GST सहित) की राशि Non-refundable है। असफल आवेदकों की धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी तथा सफल आवेदकों की धरोहर धनराशि उनके द्वारा देय जमानत/अग्रिम उत्पाद परिवहन कर (Advance Excise Transport Duty) की राशि में समायोजित कर ली जायेगी।

x. बंदोबस्ती में सफल आवेदक को दुकान अथवा दुकानों के समूह के लिए निर्धारित कुल वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का 5% जमानत की राशि तथा 7.5% अग्रिम उत्पाद परिवहन कर के रूप में जमा करना होगा। साथ ही उन्हें उस दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क को एकमुश्त जमा करना होगा। ससमय वांछित राशि जमा करने के उपरांत ही अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई की जायेगी।

यदि बंदोबस्ती के उपरांत लॉटरी में सफल आवेदकों द्वारा बंदोबस्ती के लिए निर्धारित जमानत की राशि एवं अग्रिम उत्पाद परिवहन कर ससमय नहीं जमा किया जाता है, तो आवेदक द्वारा जमा की गई धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा उन आवेदकों का नाम उत्पाद विभाग द्वारा काली सूची में दर्ज किया जायेगा। ऐसे आवेदक Blacklisting की तिथि से एक वर्ष के लिए किसी भी प्रकार की उत्पाद अनुज्ञप्ति धारण नहीं कर सकेंगे।

xi. Manual Lottery प्रणाली के तहत ऑफलाईन आवेदन के पूर्व आवेदक के पास निम्नलिखित कागजात होने चाहिए–

a. वैयक्तिक पहचान हेतु –पैन कार्ड (अनिवार्य)/मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड (अनिवार्य) की हार्ड कॉपी;

b. निवास प्रमाण हेतु – पासपोर्ट/अनुमंडल पदाधिकारी से अन्यून पदाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र/बिजली बिल/टेलीफोन बिल/बैंक का जीवित चालू खाता के स्टेटमेंटकी हार्ड कॉपी (इनमें से कोई एक);

c. पत्राचार पता हेतु – पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/बैंक का जीवित चालू खाता के स्टेटमेंट के पहले पेज की हार्ड कॉपी (इनमें से कोई एक);

d. बैंक पासबुक की हार्ड कॉपी (प्रथम पृष्ठ जिसपर खाता संबंधित विवरणी अंकित रहती है), अथवा,"बैंक स्टेटमेंट की प्रति", जो अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से तीन माह पूर्व की न हो अथवा,"कैन्सिल्ड चेक"।

e. आयकर रिटर्न की छायाप्रति {वित्तीय वर्ष 2019–20, Assessment Year 2020–21 (ITR - V)}।

f. आवेदक का हाल में खींचा गया फोटो

g. "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018" (समय–समय पर यथा संशोधित) में वर्णित शपथ के अनुरूप नोटरी पब्लिक द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र की हार्ड कॉपी।

xii. जो आवेदक वर्तमान में अनुज्ञाधारी हैं एवं उनके द्वारा अपनी अनुज्ञप्ति का नवीकरण वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कराया गया है, वैसे व्यक्ति भी Manual lottery प्रणाली के तहत भाग ले सकेंगें।

xiii. जिलावार खुदरा उत्पाद दुकानों की विवरणी सभी जिला उत्पाद कार्यालय, विभागीय वेबसाइट jharkhandutpad.nic.in/excise पर प्राप्त की जा सकती है।

xiv. खुदरा उत्पाद दुकानों के अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं बंदोबस्ती की तिथि में परिवर्तन करने का एकाधिकार उपायुक्त, जामताड़ा के पास रहेगा।

Sd/-
उपायुक्त,
जामताड़ा।

ज्ञाप संख्या– 341 /उ0, दिनांक– 05/10/2021

प्रतिलिपि :–सचिव–सह–आयुक्त उत्पाद, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त आयुक्त उत्पाद, झारखंड, राँची/सभी उपायुक्त उत्पाद, झारखंड/पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा/अपर समहर्त्ता, जामताड़ा/अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा/जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, जामताड़ा/ N.I.C. जामताड़ा/ सभी सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद, झारखंड एवं अंचल अवर निरीक्षक उत्पाद जामताड़ा/नाला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,
जामताड़ा।
04/10/21